बिल का सारांश

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल, 2023

- केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल, 2023 को 4 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। बिल केंद्रीय विश्वविद्यालय एक्ट, 2009 में संशोधन करता है, जो विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करता है।
- **तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय**: बिल तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। इसका नाम 'सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय' रखा जाएगा। इसका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र तेलंगाना तक विस्तारित होगा। यह मुख्य रूप से भारत की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं का मार्ग प्रदान करेगा। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट, 2014 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार तेलंगाना राज्य में एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगी।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

ऋत्विक उपाध्याय
rutvik@prsindia.org

5 दिसंबर, 2023